महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर
Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur
Arogya Dham, Balapar Road, Sonbarsa, Gorakhpur-273 007 (U.P.)

महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के विभिन्न कालेजों/संकायों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों हेतु विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित
अवकाश नियमावली

1. अवकाश अधिकार नही है। अतः संस्था का हित अर्थात पठन–पाठन प्रभावित न होने की दशा मे ही अवकाश स्वीकृत होगा।
2. अवकाश सत्र जनवरी से दिसम्बर तक माना जायेगा।
3. परिवीक्षा अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नही होगा।
4. विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक अवकाश सत्र मे अधिकतम 8 आकस्मिक अवकाश, 10 विशेष आकस्मिक अवकाश तथा 12 अर्जित अवकाश (कुल 30 दिन का अवकाश) देय होगा। सत्र के अन्त में शेष अवकाश अगले सत्र के अवकाश में स्थानान्तरित हो जायेगा। शिक्षक/कर्मचारी चाहें तो बचे हुये अवकाश का नगदीकरण करा सकते हैं।
5. एक बार में 03 दिन से अधिक अवधि के लिए अवकाश पर जाने तथा मुख्यालय छोड़ने के लिये माननीय कुलपति जी की पूर्वानुमति लेनी अनिवार्य होगी।
6. कुल 30 दिन के अवकाश मे से लम्बी अवधि का अवकाश सामान्यतः ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश के समय ही लिया जायेगा।
7. विश्वविद्यालय में अवकाश के दिन यदि आवश्यकतानुसार प्रतिकर अवकाश की कीमत पर कार्य करना हो तो इसकी अनुमति माननीय कुलपति जी से लेनी अनिवार्य होगी। सभी देय अवकाशों का लाभ (Availed) ले लिये जाने के उपरान्त ही प्रतिकर अवकाश अनुमन्य होगा।
8. विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता/प्रधानाचार्य अवकाश की संस्तुति करते समय यह सुनिश्चित करेगें कि विश्वविद्यालय के पठन–पाठन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा और किसी भी समय विभाग में 50 प्रतिशत शिक्षक उपलब्ध होने चाहिये।
9. आगामी आदेश होने तक यह अवकाश नियमावली जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी।
10. परिवीक्षा अवधि में अवैतनिक अवकाश लिए जा सकेंगे।
11. विश्वविद्यालय हित को वरीयता देते हुए अति आवश्यक होने पर कभी भी अवैतनिक अवकाश लिया जा सकेगा।
12. शिक्षकों का अवकाश प्रधानाचार्य की संस्तुति पर माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
13. कर्मचारियों का अवकाश प्रधानाचार्य की संस्तुति पर कुलसचिव द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
14. परिसर में आवासीय सुविधा प्राप्त किसी भी शिक्षक एवं कर्मचारी को प्रतिकर अवकाश अनुमन्य नही होगा।
15. परीवीक्षा अवधि में जितने दिन का अवकाश ग्रहण किया जायेगा उतने दिन की परीवीक्षा अवधि बढा दी जायेगी।
16. परीवीक्षा अवधि में 8 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु किसी भी महिने में 2 दिनो से अधिक देय नहीं होगा।
17. किसी शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी के परीवीक्षा अवधि में विशेष परिस्थिति में अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार कुलपति को होगा।
18. यह नियमावली महायोगी गोरखनाथ चिकित्सालय एवं महन्त दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के लिये अनुमन्य नहीं होगा।
19. अवकाश स्वीकृत करते समय उत्तर प्रदेश सरकार तथा नियामक निकाय (Regulatory Bodies) द्वारा निर्धारित अवकाश नियमों पर उदारतापूर्वक विचार करते हुये माननीय कुलपति जी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

कुलसचिव

पृ0सं0/545/मगोविगो/अवकाश नियमावली/2023 — दिनाक : 20/03/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव माननीय कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. समस्त प्रधानाचार्य/अधिष्ठाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रबन्धक, महायोगी गोरखनाथ चिकित्सालय/महन्त दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव